न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः–श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः–118 / 2011 / 75(2011 / 00029)

1. रामदेव पुत्र श्रवण (मृतक) जरिये वारिसानः–
1 / 1– श्रीमती श्रवणी पत्नि स्व0 रामदेव,
1 / 2– गोपाल पुत्र स्व0 रामदेव,
1 / 3– छोटू पुत्र स्व0 रामदेव,
1 / 4– लाली पुत्री स्व0 रामदेव,
1 / 5– माया पुत्री स्व0 रामदेव,
समस्त जाति गुर्जर, नि0 ग्राम बैवंजा, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।

2. दयाल पुत्र श्रवण (मृतक) जरिये वारिसानः–
2 / 1– श्रीमती कमला पत्नि स्व0 दयाल,
2 / 2– रामलाल पुत्र स्व0 दयाल,
समस्त जाति गुर्जर, नि0 ग्राम बैंवजा, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।

3. हरलाल पुत्र स्व0 दयाल (मृतक) जरिये वारिसानः–
3 / 1– श्रीमती सुगनी पत्नि स्व0 हरलाल,
3 / 2– कालूराम पुत्र स्व0 हरलाल,
3 / 3– शंकर पुत्र हरलाल,
3 / 4– सीता पुत्री स्व0 हरलाल,
समस्त जाति गुर्जर, नि0 बैंवजा, तह0 नसीराबाद, जिला अजममेर ।

4. हरचन्द पुत्र श्रवण, जाति गुर्जर, नि0 बैंवजा, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. भंवरलाल पुत्र हीरालाल,
2. गोविन्द पुत्र चन्दरा,
   जाति गुर्जर, निवासी ग्राम बेंवजा, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।
3. नारायण सिंह पुत्र रामचन्द्र, जाति राजपूत, नि0 ग्राम बेंवजा, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर ।
4. गोधा पुत्र सादूल, जाति गुर्जर,
5. गणेश पुत्र रामपाल, जाति गुर्जर,
   निवासीगण ग्राम ढ़ाल, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।
6. श्रीमती लाडा पत्नी भोमा, जाति गुर्जर, नि0 ग्राम बेंवजा, तह0 नसीराबाद जिला अजमेर हाल निवासी टीला नगरा, अजमेर ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नसीराबाद, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधि0 1956 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान आवंटन सलाहकार समिति, दिनांक 19.5.1978 .

उपस्थितः–

1. श्री सीताराम रावत, वकील अपीलांटस ।
2. श्री निर्मल कुमार जैन, वकील रेस्पो0 संख्या 1, 4 से 6.
3. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील रेस्पो0 संख्या 3.
4. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 7.

निर्णय

दिनांकः—19.3.2019

1. यह अपील विद्वान आवंटन सलाहकार समिति के आदेश दिनांक 19.5. 1978 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि विवादित भूमि साबिक खसरा नंबर 775 रकबा 69—15—00 बीघा भूमि खतौनी जमाबंदी 1359 में अपीलांटस के पिता श्रवण पुत्र सालू कौम गुर्जर, निवासी ग्राम बेंवजा की खातेदारी भूमि थी । खसरा नंबर 775 के नवीन खसरा नंबर 229 रकबा 1—12'—00, 230 रकबा 29—12—00, 250 रकबा 36—15—00, 251 रकबा .—12—00, 262 रकबा 0—8—0, 225 रकबा 0—16—0 बने कि जिनमें से नवीन खसरा नंबर 250 रकबा 36—15—00 बीघा भूमि के हाल खसरा नंबर 501 रकबा 0.44 है0, 500 रकबा 0.04 है0, 498 रकबा 0.10 है0, 497 रकबा 2.14 है0, 496 रकबा 0.24 है0, 495 रकबा 0.55 है0, 452 रकबा 0.21 है0, 451 रकबा 2.42 है0 बने है । उक्त भूमि हमेशा से अपीलांटस के पिता श्रवण व उसकी मृत्यु के पश्चात् अपीलांटस के कब्जे काश्त में रही है तथा आज भी भूमि पर अपीलांटस ही काबिज काश्त है लेकिन आवंटन सलाहकार समिति ने आदेश दिनांक 19.5.1978 के द्वारा विवादित भूमि रेस्पोडेंटस को आवंटित कर दी । आवंटन सलाहकार समिति के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।
3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि आवंटित भूमि पर पूर्व में अपीलांटस के पिता श्रवण का कब्जा काश्त रहा तथा उनकी मृत्यु उपरांत अपीलांटस का कब्जा काश्त चला आ रहा है । आवंटन सलाहकार समिति द्वारा भूमि आवंटन हेतु कोई सार्वजनिक सूचना जारी नहीं की गई तथा न ही उनके द्वारा कोई छोटी भू—पट्टी के आवेदन हेतु किसी प्रकार की सूचना, जानकारी या निर्देश जारी नहीं किए गए जबकि आवंटन हेतु कानूनन अलग से सूचना, नोटिस व दिशा निर्देश जारी किए जानी चाहिये थे । इस प्रकार आवंटन सलाहकार समिति ने आवंटन नियमों की अवमानना करते हुए तथाकथित आवंटन आदेश पारित किये है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि विवादित भूमि खतोनी जमाबंदी एवं फसली में खातेदारी भूमि थी जिसे बाद में राजस्व रिकार्ड में गलत तरीके से सिवायचक दर्ज किया गया है जबकि आवंटित भूमि पर प्रारंभ से कब्जा काश्त अपीलांटस का ही चला आ रहा है । विवादित भूमि को अपीलांटस के अतिरिक्त अन्य कोई आवंटन कराने का अधिकारी नहीं है । आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विवादित भूमि की मौका रिपोर्ट, कब्जा काश्त व अन्य स्थिति को देखे बिना एकतरफा में रेस्पो0 संख्या 1 व 2 को आवंटन किया है तथा उक्त गलत आवंटन के आधार पर रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने विवादित आवंटित भूमि को रेस्पो0 संख्या 4, 5 व 6 को हस्तातंरण कर दिया जो भी निरस्तनीय है । आवंटन सलाहकार समिति ने आवंटन नियमों की अवहेलना कर आवंटन आदेश पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर आवंटन सलाहकार समिति का आवंटन आदेश दिनांक 19.5.1978 निरस्त किया जावे ।
5. अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 पेश कर निवेदन किया कि विवादित आवंटित भूमि पर पूर्वजों के समय से अपीलांटस का कब्जा काश्त चला आ रहा है जिसे नियम विरूद्ध तरीके

से रेस्पो0 को आवंटित की गई है । आवंटन सलाहकार समिति के उक्त आदेश से प्रार्थीगण के हकों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है तथा वह पीड़ित पक्षकार है । आवंटन सलाहकार समिति ने अपीलांटस जो कि विवादित भूमि पर काबिज काश्तकार है को सुने बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिससे वे अपना पक्ष आवंटन सलाहकार सममिमि के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सके थे । अतः प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 स्वीकार कर आवंटन आदेश दिनांक 19.5.1978 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

6. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अपीलांटस ग्रामीण काश्तकार है तथा विवादित भूमि पर पूर्वजों के समय से उनका कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा आज भी कब्जा काश्त है । आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष न तो उन्हें पक्षकार बनाया गया है और न ही कोई नोटिस या सुनवाई का अवसर ही दिया गया है जिससे आवंटन आदेश की अपीलांटस को तत्समय जानकारी नहीं हो सकी थी । अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 23.2.2011 को तब हुई जब खिलाफ पार्टी भंवरलाल पुत्र हीरा गुर्जर द्वारा भूमि का गैर कानूनी रूप से विक्रय करने के लिये कहा तथा भूमि पर रेस्पो0 संख्या 5 से 7 ने जबरन कब्जा करने का प्रयास किया । तत्पश्चात् अपीलांटस ने दिनांक 24.2.2011 को तहसील कार्यालय अजमेर में जाकर अपीलाधीन आदेश की जानकारी कर प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

7. जवाब बहस में विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1, 4 से 6 ने सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 का जवाब प्रस्तुत कर बहस में कथन किया कि विवादित भूमि पर अपीलांटस का कब्जा काश्त नहीं है एवं न ही विवादित भूमि पर लगातार अतिक्रमण बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य ही पेश की है । इसके विपरीत रेस्पो0 सशस्त्र सेना का सेवानिवृत्त जवान होने से राज्य सरकार द्वारा आवंटी को विवादित भूमि आवंटित की गई है । अपीलाधीन आदेश से अपीलांटस पीड़ित एवं व्यथित पक्षकार की श्रेणी में नहीं आता है । अतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 निरस्त कर अपील इसी स्तर पर खारिज की जावे । विद्वान वकील रेस्पो0 ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0डी0 2007 पेज 713, 733, आर0आर0टी0 2007 पेज 1240, आर0आर0डी0 1994 पेज 85 एवं आर0आर0टी0 2009 (1) पेज 432 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

8. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1, 4 से 6 ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का जवाब पेश कर बहस में निवेदन किया कि अपीलांटस ने अपीलाधीन आवंटन आदेश के विरूद्ध लगभग 33 वर्षो की भारी मियाद बाहर अपील पेश की है । अपीलांटस ने जानकारी के मनगढ़त व असत्य कथन प्रस्तुत किये है । अपीलांटस ने इतने भारी वर्षो के विलंब के लिये कोई संतोषप्रद कारण प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किये है । अतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 खारिज कर अपील मियाद बिन्दू पर खारिज की जावे ।

9. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1, 4 से 6 ने प्रकरण में गुणावगुण बहस में कथन किया कि रेस्पो0 सशस्त्र सेना का सेवानिवृत्त जवान होने से राज्य सरकार द्वारा आवंटी को विवादित भूमि आवंटित की गई है । विवादित भूमि पर अपीलांटस का कब्जा काश्त नहीं है तथा अपीलांटस ने अपने कब्जे काश्त के संबंध में किसी प्रकार के दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन आदेश पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाकर किया गया है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है ।

अपीलांटस का विवादित आराजी पर 33 वर्षो पुराना कब्जा था तो इतने वर्षो तक आवंटन आदेश को निरस्त कराने की कार्यवाही क्यों नहीं की गई इस संबंध में अपीलांटस ने कोई संतोषप्रद कारण अपने अपील मीमों में उल्लेखित नहीं किया है । विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में आगे कथन किया कि विवादित भूमि सिवायचक थी जिसे आवंटन अधिकारी द्वारा दिनांक 19.5.1978 को रेस्पो0 को आवंटित की गई थी तथा आवंटन के बाद गैर खातेदारी दर्ज कर आवंटी के पक्ष में खातेदारी हक दर्ज की गई । उपरोक्त अपीलांटस द्वारा विवादित भूमि के संदर्भ में राजस्व वाद संख्या 62/2006 हरलाल व अन्य बनाम राज0सरकार व अन्य न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के न्यायालय में हक खातेदारी की घोषणा बाबत् प्रस्तुत किया गया था जिसे अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 31.5.2008 द्वारा निरस्त कर दिया । उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के इस निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलांटस द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई जो दिनांक 9.3.2009 को खारिज हो चुकी है । बहस में आगे कथन किया कि तीनो चौसाला जमाबंदियों एवं वर्किंग जमाबंदी में अपीलाधीन भूमि सिवायचक दर्ज रही तथा अपीलांटस द्वारा अपीलाधीन भूमि जमींदारी बिस्वेदारी उन्मूलन अधि0 के तहत खुदकाश्त घोषित कराये जाने संबंधी कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है । सिवायचक भूमि होने के कारण विधिवत् आवंटन कमेटी द्वारा समस्त तथ्यों की जांच कर विधिक प्रकिया अनुसार आवंटन की है। अपीलांटस ने आवंटन आदेश के 33 वर्षो बाद रेस्पोडेंटस को खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के उपरांत आवंटन को निरस्त कराने हेतु अपील प्रस्तुत की है जो संधारण योग्य नहीं है । साथ ही यह भी कथन किया कि तीन आवंटन आदेश के विरूद्ध एक अपील पोषणीय नहीं है। अपीलांटस ने उक्त समस्त तथ्य छिपाते हुए आवंटन आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है जो संधारण योग्य नहीं है। अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

10. रेस्पो0 संख्या 3 ने अपीलांटस की बहस का समर्थन करते हुए अपील अपीलांटस निरस्त करने का निवेदन किया ।

11. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 का निस्तारण करना उचित समझते है । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांटस ने रेस्पो0 को किया गया आवंटन विधिक प्रकिया के विपरीत होने तथा अपीलाधीन भूमि पर अपीलांटस का कब्जा काश्त होने के आधार पर अपील पेश की है । अपीलांटस ने अपने कब्जे काश्त के संबंध में कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये है जिससे यह साबित हो कि विवादित आराजी पर अपीलांटस का कब्जा काश्त हो । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अपीलांटस ने विवादित आराजी के संदर्भ में पूर्व में राजस्व वाद संख्या 62/2006 हरलाल व अन्य बनाम राज0सरकार व अन्य न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के न्यायालय में हक खातेदारी की घोषणा बाबत् प्रस्तुत किया गया था जिसे उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद ने निर्णय व डिक्री दिनांक 31.5.2008 द्वारा निरस्त किया गया है । उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के इस निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलांटस द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई जो निर्णय दिनांक 9.3.2009 द्वारा खारिज की गई है । अपीलांटस ने उक्त तथ्य छिपाकर आवंटन आदेश के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की है जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलांटस ने स्वच्छ हाथों से अपील पेश नहीं कर न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास किया है । अपीलांटस आवंटन आदेश से किस प्रकार हितबद्ध एवं व्यथित पक्षकार है दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है । उपरोक्त

विवेचनानुसार अपीलाधीन आवंटन आदेश से हितबद्ध, पीड़ित एवं व्यथित पक्षकार साबित नये पाये जाने से अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 अस्वीकार किया जाता है ।

12. अतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0 खारिज होने से अपील अपीलांटस इसी स्तर पर खारिज की जाती है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

13. निर्णय आज दिनांक 19.3.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर